उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1670/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री नवीन लाल, प्रभारी अधिशासी अभि0	सम्बद्ध मु0अ0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पौडी।	सिविल खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पौडी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1670 /III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1669/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री बलराम मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता	सम्बद्ध मु0अ0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पौडी।	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1669 /III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1674/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री चन्दन सिंह रावत, सहायक अभियन्ता	क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, गौचर।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हे कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1674/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1676/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री राजिन्द्र कुमार, प्रभारी सहायक अभि0	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी सहायक अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1676/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1666/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियन्ता	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, भीमताल।	प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, 5वां वृत्त, वि/यां0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1666 /III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1668 / III(1) / 15–46(अधि0) / 2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री नरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता	सम्बद्ध मु0अ0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पौडी।	विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पौडी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1668 / III(1) / 15–46(अधि0) / 2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी / कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1 / मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1667/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री जे0पी0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता	ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, गौचर	प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1667 /III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
9. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1875/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री राजपाल सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, भीमताल।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1875/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1672 / III(1) / 15–46(अधि0) / 2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री विरेन्द्र कुमार जौहरी प्रभारी अधि0अभियन्ता	सिविल खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।	मुख्य अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, चमोली को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1672 / III(1) / 15–46(अधि0) / 2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी / कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1 / मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1668 / III(1) / 15–46(अधि0) / 2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री नरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता	सम्बद्ध मु0अ0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पौडी।	विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पौडी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1668 / III(1) / 15–46(अधि0) / 2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी / कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1 / मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1670/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री नवीन लाल, प्रभारी अधिशासी अभि0	सम्बद्ध मु0अ0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पौडी।	सिविल खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौडी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1670 /III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1666/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियन्ता	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, भीमताल।	प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, 5वां वृत्त, वि/यां0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1666/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1676/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री राजिन्द्र कुमार, प्रभारी सहायक अभि0	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी सहायक अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1676/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1673/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री डोरी लाल वर्मा, सहायक अभियन्ता	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर।	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1673/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
9. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1674/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री चन्दन सिंह रावत, सहायक अभियन्ता	क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, गौचर।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1674/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1667/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री जे0पी0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता	ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, गौचर	प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1667 /III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
9. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

(16)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1669/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री बलराम मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता	सम्बद्ध मु0अ0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पौडी।	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1669 /III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

(5)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1875/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री राजपाल सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, भीमताल।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1875/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1671/III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी
देहरादून, दिनांक 05 नवम्बर, 2015

–: कार्यालय ज्ञाप :–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी अधिशासी अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री भुवन चन्द्र पन्त, प्रभारी अधि0अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।	मु0अ0 कार्यालय, रा0मा0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

5. सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1671 /III(1)/15–46(अधि0)/2009 टीसी0–बी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

प्रस्ताव न-2572/53 ब्यो लो0नि/15 दिनांक 07/11/2015
प्रस्ताव-: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. मुख्य अभियन्ता कार्यालय/रा0मा0 लो0नि0वि0 हल्द्वानी/धि0नै0
2. अधीक्षण अभियन्ता सि0/रा0मा0 लो0नि0वि0 हल्द्वानी/चम्पावत.
3. कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट।
4. श्री भुवन चन्द्र पन्त प्रभारी अधिशासी अभियन्ता नि0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट।

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1678/III(1)/15–09(अधि0)/05 टीसी0–1
देहरादून, दिनांक 07 नवम्बर 2015

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त श्री के0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (सिविल) वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड वेतन रू0 8900 के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री के0के0 श्रीवास्तव को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही तैनात किया जाता है।

3. उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री के0के0 श्रीवास्तव को 06 माह की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 1678/III(1)/15–09(अधि0)/05 टीसी0–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1 एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को उपरोक्तानुसार गजट में प्रकाशनार्थ।
10. सम्बन्धित अधिकारी नाम से।
11. लोक निर्माण अनुभाग–2/3,
12. गार्ड फाईल।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या–2607/34व्यक–सा0/15 दिनांक 17/11/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0, टिहरी।
2. श्री के0के0 श्रीवास्वत, मुख्य अभियन्ता स्तर–2, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/नि0/अ0 खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी/थत्यूड/कीर्तिनगर/चम्बा/घनसाली/नरेन्द्रनगर।
5. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 1678/III(1)/15–09(अधि0)/05 टीसी0–1
देहरादून, दिनांक 07 नवम्बर 2015

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त श्री के0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (सिविल) वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड वेतन रू0 8900 के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री के0के0 श्रीवास्तव को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही तैनात किया जाता है।

3. उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री के0के0 श्रीवास्तव को 06 माह की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 1678/III(1)/15–09(अधि0)/05 टीसी0–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1 एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को उपरोक्तानुसार गजट में प्रकाशनार्थ।
10. सम्बन्धित अधिकारी नाम से।
11. लोक निर्माण अनुभाग–2/3,
12. गार्ड फाईल।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या–2607/34व्यक–सा0/15 दिनांक 17/11/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0, टिहरी।
2. श्री के0के0 श्रीवास्वत, मुख्य अभियन्ता स्तर–2, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/नि0/अ0 खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी/थत्यूड/कीर्तिनगर/चम्बा/घनसाली/नरेन्द्रनगर।
5. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

अधिशासी अभियन्ता